न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 153/2011
प्रविष्टि दिनांक 24.05.2011

अहसन लबीब पुत्र हबीब हसन खान जाति मुसलमान निवासी शास्त्री नगर टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–नगर परिषद टोंक जरिये आयुक्त नगर परिषद टोंक
3–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण,परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित–(1) श्री सरवर अली,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री रामअवतार सोनी,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–3

निर्णय

दिनांक 20–10–2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम मेहगांव तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 500/2 में 164 वर्गमीटर का मुआवजा कृषि भूमि की दर से निर्धारण किया गया है। अतः अवार्ड दिनांक 20.12..2010 को निरस्त कर 164 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा आवासीय दर से तथा निर्माण कार्य व बाउन्ड्री का भी मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 762/09 दिनांक 20.12.2010 तलब की गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि खसरा नं0 500/2 रकबा 164 वर्गमीटर वाके ग्राम मेहगांव मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात 3 सी के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुये धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन जारी किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:48:52 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुद्वा भूमि पर स्थित (structures) का मुआवजा स्वतंत्र कन्सलटैट मैसर्स अजीत सर्वे एंव कन्सलटेन्ट्स प्रा.लि. जयपुर से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नाप ली जाकर राज0सरकार की प्रभावी बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट (बी.सी.आर) के अनुसार मूल्यांकन कराया है,जो पूर्णतः सही व उचित है।सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी–1 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–3 की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एन0एच–12 टोंक क्षेत्र (अति0 जिला कलेक्टर टोंक) द्वारा अवार्ड सं0 762/09 दिनांक 20.12.2010 अहसन लबीब पुत्र हबीब हसन खान जाति मुसलमान निवासी शास्त्री नगर टोंक के हक मे ख0नं0 500/2 मे 164 वर्गमीटर का बारानी–1 की दर से जारी किया गया है। अधिसूचना के प्रकाशन के समय अधिग्रिहित उक्त भूमि किस्म बारानी–1 दर्ज थी। प्रार्थी द्वारा कम मुआवजा देना तथा गलत निर्धारण कर निर्माण कार्य के सम्बन्ध में कोइ सबुत दस्तावेज पेश नही किये हैं। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 20–10–2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:48:52 IST
Reason: SelfAttested